कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 21.11.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–09 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना परसपुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.11.2023

दुष्कर्म करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा अंकित मित्तल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत महिला सम्बन्धी अपराधों में अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर परसा तिवारी से दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त–अमरचन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने थाना छपिया क्षेत्र की रहने वाली एक लडकी के साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अमरचन्द्र पुत्र रामदेव नि0 ग्राम बिछिया मिश्र थाना पैकोलिया जनपद बस्ती।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–322/23, धारा 376(2)एन,323,504,506 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

थानाध्यक्ष छपिया सत्येन्द्र वर्मा मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.11.2023

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई 01 वर्ष की सजा व रूपए 10,000 के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 01 वर्ष कारावास व रु0 10,000 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना मोतीगंज पुलिस ने दिनांक 01.04.2023 को 01 किलो 600 ग्राम नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त किशन कुमार तिवारी उर्फ लालमनि तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना मोतीगंज के पैरोकार हेड का0 धनवंत के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश स्वापक औषध एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधि0 गोण्डा ने 01 वर्ष के कारावास व रू 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. किशन कुमार तिवारी उर्फ लालमनि तिवारी पुत्र राधिका प्रसाद तिवारी नि0 टिहरवा खजूरी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–101/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.11.2023

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्कर को हुई जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व रूपए 3,000 के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को हुई जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व रु0 3,000 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना धानेपुर पुलिस ने दिनांक 11.02.2020 को 01 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा के साथ अभियुक्त जमुना प्रसाद उर्फ रामभवन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अनुपम शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना धानेपुर के पैरोकार का0 मंटू चौरासिया के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0 कोर्ट गोण्डा ने जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व रू 3,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. जमुना प्रसाद उर्फ रामभवन पुत्र श्री सांवल प्रसाद नि0 खलिया मौजा रेतवागाड़ा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–47/20, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 21.11.2023

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से लोक सेवक के कार्य में बाधा उत्पन्न करने व जानमाल की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को हुई 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 3,500 के अर्थदण्ड की सजा–

अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान 'ऑपरेशन कनविक्शन' जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप लोक सेवक के कार्य में बाधा उत्पन्न करने व जानमाल की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 3,500 के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

थाना छपिया पुलिस ने लोक सेवक के कार्य में बाधा उत्पन्न करने व जानमाल की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त हरिवंश सिंह उर्फ मिन्टू सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री उदय प्रताप वर्मा, मॉनिटरिंग सेल व थाना छपिया के पैरोकार हेड का0 भोलानाथ के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट गोण्डा ने 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपए 3,500 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता–

01. हरिवंश सिंह उर्फ मिन्टू सिंह पुत्र देवकीनन्दन सिंह नि0 ग्राम तिरवा बुजुर्ग थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–165/2007, धारा 332,353,504,506,427,379 भादवि व 7 सी0एल0ए0 ऐक्ट व 3(1) गैंगेस्टर ऐक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।